सामान्य प्रबंधक, यूको बैंक व अन्य

बनाम

एम. वेणुरंगनाथ

12 दिसंबर, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और आफताब आलम, जेजे.)

सेवा कानूनः बैंक- अनुशासनात्मक कार्यवाही-प्रत्यर्थी, शाखा प्रबंधक का भा.दं.सं. व भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए विचारण किया गया। लेकिन न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी, जो इस दौरान निलंबित था, बहाल किया गया। बहाली के बाद, विभागीय कार्यवाही शुरू की गई जिसमें प्रत्यर्थी को दोषी पाया गया। उसे निलम्बन की अवधि के दौरान वेतन व भत्तों और वेतन वृद्धि सहित अन्य परिलाभों का हकदार नहीं माना गया। प्रत्यर्थी द्वारा निलम्बन की अवधि के लिए दायर रिट याचिका में वेतन और भत्तों का दावा किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर की गई। अभिनिर्धारित- अनुशासनात्मक नियमावली का खंड 22 (8) प्रत्यर्थी के मामले पर लागू होता है। उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि खंड 22 (8) के कारण, प्रत्यर्थी सभी लाभों का हकदार था जो वह आम तौर पर हकदार होता, अगर वह ड्यूटी पर होता- अनुशासनात्मक

कार्यवाही और यूको बैंक से संबंधित प्रकरणों पर नियमावली के खंड 22 (8)- संयुक्त वाणिज्यिक बैंक (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 1976-विनियम 12 और 15।

प्रत्यर्थी, अपीलार्थी सं. 1-बैंक में शाखा प्रबंधक, पर भा.दं.सं की धारा 120 बी, 471 व 477 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) सपठित धारा 5(1)(डी) के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया किन्तु न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ दिया गया और दोषमुक्त किया गया। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी, जो इस दौरान निलंबित था, बहाल किया गया। पुनर्नियुक्ति के बाद, प्रत्यर्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें उसे दोषी पाया गया। प्रत्यर्थी को निलम्बन अवधि के दौरान किसी वेतन व भत्ते और वेतन वृद्धि सहित अन्य परिलाभों का हकदार नहीं माना गया । उन्होंने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही और यूको बैंक से संबंधित मामलों को नियमावली के खंड 22 (8) के आधार पर निलम्बन के दौरान की अवधि के लिए वेतन और भत्ते दिये जाने का निर्देश दिया। इसलिए वर्तमान अपील की गई।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1.1 . संयुक्त वाणिज्यिक बैंक का विनियमन 12 के आधार पर निलम्बन दो परिस्थितियों में निर्देशित किया जा सकता है। पहला यह है कि जब संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध एक अनुशासनात्मक कार्यवाही

विचाराधीन है या लंबित है; और दूसरा वह है जहाँ उसके विरूद्ध किसी भी आपराधिक अपराध के संबंध में अनुसंधान, जांच या विचारण चल रहा है। प्रत्यर्थी को विनियमन 12 (1)(बी) के अन्तर्गत निलंबित कर दिया गया था। (पैरा 8)(373-जी-एच;374-ए)

1.2 . विनियम 15 दो प्रकार की स्थितियों से संबंधित है। सेवा समाप्ति या निलम्बन के दौरान वेतन और भत्ते व सेवा के उपचार की स्थिति। उप विनियम (1) विभागीय जाँच पूरी होने पर सक्षम प्राधिकारी की शक्ति से संबंधित है। अन्य सभी मामलों में, विनियम (1) के तहत आने वाले मामलों के अलावा सक्षम प्राधिकारी को प्रदान किए जाने वाले वेतन और भत्तों के अनुपात के संबंध में निर्देश देना होगा। विनियम 15 का उप-विनियम (1) का गहन अवलोकन दर्शाता है कि यह विभागीय कार्यवाहियों से संबंधित है। जबकि अन्य मामले अर्थात जो मामले विभागीय कार्यवाहियों के दायरे में नहीं आते, वे स्पष्ट रूप से आपराधिक विचारण में शामिल होगें, जो उप-नियम (2) के दायरे में आते हैं। (पैरा 8 व 9) (374-ए,बी,डी)

2. अनुशासनात्मक कार्रवाई और यूको बैंक से संबंधित मामलों में नियमावली का खंड 22 दो प्रकार की स्थितियों से संबंधित है। एक विभागीय कार्यवाहियों में पूर्ण दोषमुक्ति और दूसरा लगाये गये आरोपो से न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति। खंड 22 (8) विशेष रूप से आपराधिक

न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति से संबंधित है। यह उस दोषमुक्ति को अपवर्जित नहीं करता है जहॉ अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया गया है। खंड 22 (8) विनियम 15 के उपनियम (2) के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करना न्यायसंगत है कि खंड 22 (8) के कारण, प्रत्यर्थी उन सभी लाभों का हकदार है जिनके लिए वह सामान्य रूप से हकदार होता यदि वह काम पर होता। (पैरा 9 व 13)(375-बीएसी; 375-बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 5826/2007

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अपील सं. 685/2004 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17.06.2004 से

अपीलार्थीगण की ओर से यू. एन. भचावत, बी. एल. आनंद, आलोक भचावत और प्रतिभा जैन।

प्रत्यर्थी की ओर से सी. के. सुचरिता।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

डॉ0 अरिजीत पासायत, जे.

1. अपील स्वीकार की गई।

2. इस अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट अपील को स्वीकार किया गया।

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैंः

प्रत्यर्थी, जो तत्समय अपीलार्थी संख्या 1-बैंक की आंध्र प्रदेश के नेल्लोर शाखा में प्रबंधक के रूप में पदस्थापित था, उस पर एक श्रीनिवासुलु पुत्र चेंचुरमैयाह के साथ भारतीय दंड संहिता 1860, (संक्षेप मंे भा.दं.सं). की धारा 120बी, 471 व 477 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) सपठित धारा 5(1)(डी) (संक्षेप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के अंतर्गत आरोप लगाया गया व विचारण किया गया। दोनों अभियुक्तों पर सी. बी. आई. मामलों के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। उन्हें निर्णय दिनांक 11/12/2002 द्वारा संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया। प्रत्यर्थी 15/06/1988 से 04/05/1993 तक पुनर्नियुक्ति होने तक निलंबित रहा। उसकी पुनर्नियुक्ति के बाद, विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। एक रिट याचिका द्वारा रिट याचिका सं.15797/1994 में समान प्रश्न उठाया गया जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई। लेकिन रिट अपील सं. 884/1998 में, एक खंड पीठ ने रिट याचिका को खारिज करने का निर्देश दिया। विभागीय जाँच 29.02.2003 को समाप्त हुई। प्रत्यर्थी को दोषी पाया गया। जहां तक

वेतन, भत्ते आदि के भुगतान का संबंध है, आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार पढ़े-

"उपरोक्त सजा के आलोक में अधोहस्ताक्षरित आगे निर्देश देता है कि श्री एम. वेणु रंगनाथ किसी भी वेतन व भत्तों और वेतन वृद्धि सहित अन्य परिलाभ निलंबन के दौरान उसके द्वारा बिताई गई अवधि के हकदार नहीं होंगे, सिवाय उक्त अवधि के दौरान उन्हें पूर्व में दिए गए निर्वाह भत्ते के।"

3. प्रत्यर्थी ने निलम्बन की अवधि के दौरान वेतन और भत्ते के लिए रिट याचिका सं.11615/1994 दायर की जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई। प्रत्यर्थी ने रिट अपील सं. 685/2004 दायर की जो आक्षेपित आदेश द्वारा स्वीकार की गई। खण्ड पीठ द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया कि यूको बैंक की अनुशासनात्मक कार्रवाई और संबंधित मामलों पर नियमावली का खंड-22 हस्तगत प्रकरण में लागू होता है, न की संयुक्त वाणिज्यिक बैंक (आचरण और अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 का विनियमन 15 (2)।

4. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, खंड पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है कि नियमावली का खंड 22 (8) लागू होता है न की विनियमन के विनियमन 15 (2) । यह कहा गया है कि नियमावली और कुछ नहीं बल्कि शामिल किए गए दिशा निर्देश हैं

और अधिक से अधिक, कार्यकारी निर्देश कहे जा सकते हैं। विनियम वैधानिक रूप से परिपक्व हैं।

5. यह बताया गया है कि आपराधिक मामले में दोषमुक्त होने का विभागीय कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है और इस पर कानून स्पष्ट रूप से सुस्थापित है। आपराधिक मामले में दोषमुक्त होने के बावजूद, विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती है और/या जारी रखी जा सकती है।

6. जवाब में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया कि तथ्यात्मक स्थिति से पता चलता है कि प्रत्यर्थी को केवल विनियमन 12(1)(बी) के तहत आपराधिक मामले के कारण निलंबित किया गया था। भले ही विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, पर प्रत्यर्थी को विभागीय कार्यवाही में कभी भी निलंबित नहीं किया गया। उनके अनुसार, विनियम 15(2) के अंतर्गत आने वाला मामला उप-विनियम (1) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों से संबंधित हैं।

7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होती हैं। भले ही व्यक्ति को आपराधिक विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया हो, लेकिन उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यहां प्रश्न थोड़ा अलग है। प्रासंगिक प्रावधान को उद्दत करने की आवश्यकता है:

"11. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया:

विनियम 6 या विनियम 7 या विनियम 8 में किसी बात के होते हुए भी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी विनियम 4 में निर्दिष्ट कोई भी दण्ड लगा सकता है यदि अधिकारी/कर्मचारी को किसी आपराधिक आरोप में तथ्यों और निष्कर्ष के आधार पर किसी न्यायिक विचारण में दोषी ठहराया गया हो।

विनियम 12: निलम्बन:

(1) किसी अधिकारी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है-

(ए) जहां उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा हो या लंबित हो; या

(बी) जहां किसी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध मामला अनुसंधान, जांच या विचारण के अधीन हो।

(2) किसी अधिकारी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित किया गया माना जाएगा:

(ए) उसकी हिरासत की तारीख से, यदि उसे अभिरक्षा में रखा जाता है, चाहे आपराधिक आरोप में या अन्यथा अड़तालीस घंटे की अवधि से अधिक,

(बी) दोषसिद्धि की तारीख से, यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि की स्थिति में, उसे अड़तालीस घंटे से अधिक कारावास की सजा सुनाई

जाती है और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप उसे तुरंत बर्खास्त या हटाया नहीं जाता या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरणः- इस उप-विनियम के खंड (बी) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के बाद कारावास की शुरुआत से की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए कारावास की रुक-रुक कर होने वाली अवधि, यदि कोई हो, वह भी गिनी जाएगी।

(3) जहां निलंबन के तहत किसी अधिकारी कर्मचारी, की सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर लगाए गए जुर्माने को अपील या पुनर्विलोकन में इन विनियमों के अन्तर्गत अपास्त कर दिया जाता हैं और मामले को आगे की जांच या कार्रवाई या किसी निर्देशों के साथ भेज दिया जाता है तो उनका निलंबन आदेश बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से लागू माना जाएगा और आगामी आदेशों तक लागू रहेगा।

(4) जहां निलंबन के तहत किसी अधिकारी कर्मचारी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना न्यायालय के निर्णय अनुसार अपास्त या शून्य घोषित कर दिया जाता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा, प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए, उन आरोपों पर उसके विरूद्ध आगे की जांच करने का निर्णय लिया जाता है, जिन पर मूल रूप से बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य

सेवानिवृत्ति का जुर्माना लगाया गया था, अधिकारी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख और आगामी आदेशांे तक निलंबित माना जाएगा।

(5) (ए) इस विनियमन के तहत किया गया निलम्बन आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे संशोधित या रद्द नहीं किया जाता है।

(बी) इस विनियमन के तहत किए गए या किए गए माने गए निलम्बन के आदेश को किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा संशोधित या रद्द किया जा सकता है जिसने आदेश दिया है या माना जाता है कि उसने आदेश दिया है।

"विनियम 15: निलंबन की समाप्ति पर वेतन भत्ते और सेवा का उपचार:

(1) जहां सक्षम प्राधिकारी यह मानता है कि अधिकारी कर्मचारी को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है या निलम्बन अनुचित था, संबंधित अधिकारी कर्मचारी को सम्पूर्ण वेतन व भत्ते के साथ जिसकी प्राप्ति उसे निलंबन से पूर्व होती थी, या बाद में स्वीकृत की गई हो और सभी अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू की गई हो, दिया जाएगा, जिसका वह हकदार होता यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य सभी मामलों में, अधिकारी कर्मचारी को वेतन और भत्ते का ऐसा अनुपात दिया जाएगा जैसा सक्षम प्राधिकारी निर्देशित करता है।

इस उप-विनियम के तहत भत्तों का भुगतान अन्य सभी शर्तों के अधीन होगा जिनके लिए ऐसे भत्ते स्वीकार्य हैं:

इस उप-विनियम के तहत दिया जाने वाला वेतन और भत्ते विनियमन 14 के तहत स्वीकार्य निर्वाह और अन्य भत्तों से कम नहीं होंगे।

3 (ए) उप-विनियमन (1) के अंतर्गत आने वाले मामले में, ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि, सभी उद्देश्यों के लिए, ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में मानी जाएगी;

(बी) उप-विनियम (2) के तहत आने वाले मामले में, ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विशेष रूप से लिखित में कारण लिखने के लिए निर्देशित करता है वह भी केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिये माना जायेगा।

नियमावली का खंड 22(8) "जहां एक निलंबित अधिकारी कर्मचारी को विभागीय जांच या न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया गया है व सक्षम प्राधिकारी का मानना है कि निलंबन अनुचित था तो वह उन सभी लाभों का हकदार होगा जिनके

लिए सामान्यतः यदि वह डयूटी पर होता तो हक़दार होता। हालांकि, कर्मचारी ऐसे मामले में अनुमेय सीमा के बाहर छुट्टी लेने का हकदार नहीं होगा।"

8. विनियम 12 को पढ़ने से पता चलता है कि निलम्बन को दो परिस्थितियों में निर्देशित किया जा सकता है। पहला वह है जहां संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है या लंबित है; और दूसरा वह है जहां किसी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध मामला अनुसंधान, जांच या विचारण के अधीन है। निर्विवाद रूप से, प्रत्यर्थी को विनियम 12(1)(बी) के तहत निलंबित कर दिया गया था। विनियम 15 दो प्रकार की स्थितियों से संबंधित है। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है, यह सेवा समाप्ति या निलंबन पर वेतन व भत्ते और सेवा के उपचार से संबंधित है। उप-विनियम (1) विभागीय जांच पूरी होने पर सक्षम प्राधिकारी की शक्ति से संबंधित है। उप-विनियम (1) के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में, सक्षम प्राधिकारी को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते के अनुपात के संबंध में निर्देश देना होगा।

9. विनियम का खंड 22 दो स्थितियों से संबंधित है। एक है विभागीय कार्यवाही में पूर्ण दोषमुक्ति और दूसरा है लगाए गए आरोपों से न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाना। खंड 22(8) विशेष रूप से आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति से संबंधित है। यह उस दोषमुक्ति को

अपवर्जित नहीं करता है जहां आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया हो। विनियम 15 के उप-विनियम (1) के ध्यानपूर्वक अध्ययन से पता चलेगा कि यह विभागीय कार्यवाही से संबंधित है। जबकि अन्य मामले, अर्थात् वे मामले जो विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से आपराधिक विचारण शामिल होगा, उप-विनियम (2) के अंतर्गत आते हैं।

10. इस समय, विनियमन के खंड 21(9) पर ध्यान देना भी प्रासंगिक होगा। यह आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के बाद लाभों के अधिकार से संबंधित है।

11. इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"जहां एक निलंबित कर्मचारी को विभागीय जांच में पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया गया है या न्यायालयों द्वारा उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से सम्मानपूर्वक दोषमुक्त कर दिया गया है, तो वह उन सभी लाभों का हकदार होगा जिनके लिए वह सामान्य रूप से हकदार होता, अगर वह डयूटी पर होता। हालाँकि, ऐसे मामले में कर्मचारी उन सभी लाभों का हकदार नहीं होगा जिनका वह सामान्य रूप से हकदार होता, अगर वह डयूटी पर होता। हालाँकि, ऐसे मामले में कर्मचारी अनुमेय सीमा से अधिक छुट्टी जमा करने का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, यदि कर्मचारी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उसे वेतन और भत्ते का उतना हिस्सा दिया जा सकता है जितना प्रबंधन उचित समझे और उसके

निलंबन की अवधि को डयूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि प्रबंधन ऐसा निर्देश न दे।"

12. यह ध्यान देने योग्य है कि विनियम 21 (9) अधिकारियों से संबंधित नहीं है और यहाँ प्रत्यर्थी एक अधिकारी था और इसलिए, विनियमन 21 की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि इसमें केवल पुरस्कार कर्मचारी शामिल होते हैं।

13. खंड 22 (8) स्पष्ट रूप से खंड 15 (2) से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि यह विनियम 15 के उप-विनियम (2) के संचालन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्धारित करना न्यायसंगत है कि प्रत्यर्थी धारा 22 (8) के अन्तर्गत उन सभी लाभों का हकदार हैं जिनके लिये अगर वह डयूटी पर होता तो सामान्य रूप से हकदार होता। इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं ।

14. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेम राजेश (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।